रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2006/आषाढ़ 5, 1928
No. 653] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2006/ASADHA 5, 1928

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 2006

का.आ. 946(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम औषधि (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2006 है ।

   (2) यह 2 अक्तूबर, 2006 को प्रवृत्त होगा ।

2. औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में, -

   (क) पैरा 2 में, खंड (ड) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(डड) ' अधिकतम फुटकर' से इस आदेश के उपबंधों के अनुसार तय या नियत की गई फुटकर कीमत अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई अधिकतम कीमत भी है, जिस पर औषधि अंतिम उपभोक्ता को विक्रय की जा सकेगी और जहाँ ऐसी कीमत पैक पर वर्णित की गई है, वहाँ "अधिकतम या सभी करों सहित अधिकतम फुटकर कीमत" शब्द पैक पर मुद्रित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी औषधि के संबंध में, "सभी करों सहित" शब्दों के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क, विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित सभी स्थानीय या अन्य कर होंगे ।'

(ख) पैरा 14 के उपपैरा (2) में, " फुटकर कीमत ------ से अधिक नहीं होगी " और " स्थानीय कर अतिरिक्त " शब्दों के स्थान पर " जिसके पहले " अधिकतम फुटकर कीमत " और उसके पश्चात सभी करों सहित " शब्द रखें जाएंगे;

(ग) पैरा 15 के उपपैरा (1) में " जिसके पहले " फुटकर कीमत ----- से अधिक नहीं होगी " और उसके पश्चात " स्थानीय कर अतिरिक्त " शब्दों के स्थान पर ' जिसके पहले " अधिकतम फुटकर कीमत " और उसके पश्चात, " सभी करों सहित " शब्द रखे जाएंगे;

(घ) प्रारूप 3 में :-

(1) क्रम संख्या 12 और 13 के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं रखी जाएंगी, अर्थात:-

(2) गत लेखा वर्षो के दौरान विक्रय किए गए पैकों की संख्या और उनकी अधिकतम फुटकर कीमत सहित उसी विनिर्मिती के अन्य पैकों के ब्यौरे ।

(3) अधिकतम फुटकर कीमत का ब्यौरा ।

ब्यौरे	विद्यमान कीमत, यदि कोई हो (रू0/पैक)	अब दावा की गई कीमत (रू0 /पैक)

(क) सामग्री लागत (क्रम सं0 14 घ के अनुसार);

(ख) संपरिवर्तन लागत (सन्नियमों के अनुसार);

(ग) पैकिंग सामग्री लागत (क्रम सं0 या सन्नियमों के अनुसार);

(घ) पैकिंग प्रभार;

(ङ) कारखाना द्वारा लागत (क से घ तक);

(च) उपर (ङ) पर 100% एम.ए.पी.ई;

(झ) अन्य स्थानीय कर;

(ट) अधिकतम फुटकर कीमत (एमआरपी) (ङ) + (च) + (छ) + (ज) + (झ) "

(ii) टिप्पण में, क्रम संख्या 4 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

" 5. विक्रय कर और अन्य स्थानीय करों (क्रम संख्या 13 (ज) और 13 (झ) के आधार और उनकी संगणना दी जाए ।"

(ङ) प्रारूप 4 में, क्रम सं0 20,21 और 22 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

" 20. उत्पाद शुल्क, यदि कोई हो ।

21. विक्रय कर / मूल्य वर्धित कर (वैट) ।

22. अन्य स्थानीय कर, यदि कोई हो ।

23. दावा की गई अधिकतम फुटकर कीमत (18+19+20+21+22)

24. विद्यमान अधिकतम फुटकर कीमत, यदि कोई हो ।";

(च) (1) प्रारूप 5, क्रम सं0 3 कीमतों के ब्योरे में :- सारणी के स्तंभ सं0 7 के पश्चात स्तंभ सं0 8,9,10 और 11 अन्तः स्थापित किए जाएंगे और विद्यमान स्तंभ सं0 8,9,10 को क्रमशः 12,13 और 14 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

(ii) सारणी के स्तंभ 8,9,10 और 11 में, निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे -

विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर, यदि कोई हो		अन्य स्थानीय कर, यदि कोई हो	
दर	रकम	दर	रकम
8	9	10	11

(iii) स्तंभ सं0 12 और 13 विद्यमान स्तंभ 8 और 9) में निम्नलिखित रखा जाएगा -

फुटकर विक्रय के लिए कीमत (उत्पाद शुल्क, विक्रय कर/ मूल्य वर्धित कर और अन्य स्थानीय करों सहित) (रू0)	अधिकतम फुटकर कीमत (सभी करों सहित)
12	13

तथापि, इस आदेश में अन्तर्विष्ट कोई बात, 2 अक्तूबर, 2006 के पूर्व विनिर्मित औषधों को लागू नहीं होगी ।

[सं. 5/42/05-पी आई-I]
जी. एस. संधु, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण में का0 आ0 सं0 18 (अ) तारीख 6 जनवरी, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया था :-

(1) का0 आ0 642 (अ), तारीख 19 जुलाई , 1995;

(2) का0 आ0 626 (अ), तारीख 2 सितम्बर, 1997; और

(1) का0 आ0 733 (अ), तारीख 17 अक्तूबर, 1997;

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 26th June, 2006

S.O. 946(E).— **In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1995, namely :-**

1 (1) This order may be called the Drugs (Prices Control) Amendment Order, 2006.

(2) It shall come into force on the 2nd day of October, 2006.

2 In the Drugs (Prices Control) Order, 1995, -

(a) in paragraph 2; after clause (m), the following clause shall be inserted namely :-

'(mm) "Maximum retail price" means the retail price arrived at or fixed in accordance with the provisions of this Order and includes a ceiling price, at which the drug may be sold to the ultimate consumer and where such price is mentioned on the pack, the words "Maximum or Max. retail price inclusive of all taxes" shall be printed on the pack.

Explanation :– For the purpose of this clause the words "inclusive of all taxes," in relation to any drug shall include all taxes local or otherwise including Excise Duty, Sales Taxes/value added tax(VAT)'.;

(b): in paragraph 14, in sub-paragraph (2), for the words, 'with the words "retail price not to exceed" preceding it, and "local taxes extra" succeeding it', the words 'with the words' "maximum retail price" preceding it and "inclusive of all taxes" succeeding it' shall be substituted;

(c) in paragraph 15, in sub-paragraph (1), for the words, 'with the words "retail price not to exceed" preceding it and the words "local taxes extra"

succeeding it', the words 'with the words "maximum retail price" preceding it and "inclusive of all taxes" succeeding it' shall be substituted;

(d) in Form III-
(i) for serial numbers 12 and 13, the following serial numbers shall be substituted namely :-

"12: Number of packs sold during the last accounting years and details of other packs of the same formulation with their maximum retail prices.

13: Break up of maximum retail price:

Details	Existing price If any* (Rs/Pack)	Now claimed (Rs/Pack)
(a) Material Cost (as per S.No. 14d);		
(b) Conversion Cost(as per norms);		
(c) Packing Material Costs (as per S.NO.15 or as per norms)		
(d) Packing Charges;		
(e) Ex-factory Cost (a to d);		
(f) MAPE 100% on (e) above;		
(g) Excise Duty;		
(h) Sales Taxes/Value added tax(VAT)		
(i) Other Local Taxes		
(j) Maximum Retail Price (MRP) (e)+(f)+(g)+(h)+(i)"		

(ii) In the Note, after serial number 4 the following serial number shall be inserted namely :-

"5: Basis and calculation of Sales Taxes and other local taxes (S.No. 13 (h) and 13 (i) to be given.

(e) In Form IV, for S.Nos. 20, 21 and 22 the following shall be substituted namely:-

"20. Duty of excise if any.
21. Sales Taxes/Value added tax(VAT)
22. Other local taxes, if any.
23. Maximum retail price claimed (18+19+20+21+22)
24. Existing maximum retail price, if any.";

(f) (i) In Form V, sl no. 3 Details of prices:-, after column no. 7 of the table, column nos. 8, 9, 10 and 11 shall be inserted and existing column nos. 8, 9, 10 shall be renumbered as 12, 13 and 14 respectively.

(ii) In column 8, 9, 10 and 11 of the table, the following words shall be inserted.

Sales Taxes/VAT if any		**Other Local Taxes if any**	
Rate	**Amount**	**Rate**	**Amount**
8	**9**	**10**	**11**

(iii) in the column nos. 12 and 13 (existing Column 8 and 9), the following shall be substituted.

Price to be retailed (inclusive of Excise Duty, Sales Taxes/VAT and Other Local Taxes) (Rs.)	**Maximum Retail Price (inclusive of all Taxes).**
12	**13**

However, nothing contained in this order shall apply to the medicines manufactured prior to 2nd day of October, 2006.

[No. 5/42/05-PI-I]

G. S. SANDHU, Jt. Secy.

Note :—The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 18(E), dated the 6th January, 1995 and subsequently amended *vide* numbers :—

(1) S.O. 642(E), dated the 19th July, 1995;
(2) S.O. 626(E), dated the 2nd September, 1997; and
(3) S.O. 733(E), dated the 17th October, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.